तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	(पुराना 38/15) सीता उर्फ सीताराम वगै0 बनाम बाबू लाल बगै0 मु0नं0 6/18 प्रा0पत्र टी.आई. धारा 212 आर.टी.एक्ट	
23.12.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र O7 R 11 C.P.C. एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के वकुलाये फरीकेन की बहस सुनी गई। जवाब प्रार्थना पत्र O7 R 11 C.P.C. एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा 212 आर. टी0एक्टी व संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन व मनन किया गया। बहस सुनने तथा अवलोकन व मनन करने के पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O7 R 11 C.P.C. सपठित धारा 151 सी0पीसी0 के समर्थन में कोई ठोस आधार नही होने के कारण प्रार्थना पत्र O7 R 11 C.P.C. सपठित धारा 151 सी0पीसी0 खारिज किया जाता है। **(i)** प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के हक में नही है क्योंकि अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। **(ii)** यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखी जाती है तो अपूरनीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी तथा **(iii)** सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीण के हक में साबित होती है। चूंकि अप्रार्थीगण संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदारे के विरूद्व **T.I.**जारी नही की जा सकती, क्यों कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–212 के अन्तर्गत रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व **T.I.**जारी नही की जा सकती। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में सशक्त प्रथम दृष्टया मामला नही है न ही कोई अपूरनीय क्षति होने की संभावना है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन नही होने से उप जिला कलेक्टर चोथ का बरवाडा द्वारा दिनांक 06.11.2015 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्व जारी अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् ग्राम कावड में स्थित खाता संख्या 249 में अंकित खसरा नम्बर 825 रकबा 0.18 हैक्टर,826 रकबा 0.18 हैक्टर में हिसा 1/3 व खसरा नम्बर 827 रकबा 0.10 हैक्टर में हिस्सा 1/3 में से 2/3 व खता संख्या 250 में अंकित खसरा नम्बर 828,1205/1319,1206,1208 व 1570 कुल किता 5 रकबा 1.46 हैक्टर में से 1/3 का अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय की गई भूमि का राजस्व रिकर्ड में अमल नही किया जाने बाबत अन्तिरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावे की पत्रावली के संलग्न हो। सहायक कलेक्टर (मु0) सवाई माधोपुर सहायक कलेक्टर मु0 सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.12.24 11:45:38 IST
Reason: SelfAttested